(60)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

दिनांक– 01/04/04

पत्रॉंक– वाणिज्य/एच0सिंह 5918

प्रेषक,

विशेष कार्याधिकारी,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

श्री सुनीत राजवंशी पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र प्रकाश 3102337
व श्री अनिल यादव पुत्र श्री रघुवीर सिंह,
व श्री पवन जैन पुत्र श्री श्रीचन्द जैन
व श्री आर0 सी0 दादु पुत्र श्री के0एल0 दादु,
57, रायल होटल, माल रोड़ मेरठ।

महोदय,

कृपया **गंगानगर** आवासीय योजना के **पॉकेट जी** में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 **सी–32,** अनुमानित क्षेत्रफल **1741.00** वर्ग मीटर हेतु निर्धारित आरक्षित दर रूपये **3880.00** प्रति वर्ग मीटर के निमित दिनांक **26–3–2004** को हुई निविदा–सह–नीलामी का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त व्यवसायिक भूखण्ड हेतु चुँकि आपकी उच्चतम् **नीलामी दर** प्रति वर्ग मीटर रूपये **4540/–** पायी गयी, इसलिये आपकी बोली उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक **29–3–2004** के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी गयी है। भूखण्ड की अनुमानित कीमत अंकन रूपये **79,04,140/–** होती है। आप द्वारा उक्त भूखण्ड की **धरोहर राशि** अंकन रूपये **7,87,500/–** जमा हैं। उक्त धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त आप द्वारा निविदा–सह–नीलामी की शर्तो के अधीन यह आवंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर **30%** आवंटन आफर धनराशि के मद में बकाया देय अंकन रूपये **15,83,742/–** प्राधिकरण परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक में नकद अथवा उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर के माध्यम से जमा कराकर रसीद की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी है। **यदि आप इस आवंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि** (अर्थात् 100%) **अदा कर देते है तो भूखण्ड के मूल्य पर 5% छूट देय होगी और यदि इस अवधि में ही निविदा–सह–नीलामी की शर्तों के अधीन भूखण्ड का निबन्धन भी करा लिया जाता है तो 2% अतिरिक्त छूट भी देय होगी।**

आपको आवंटन आफर धनराशि जमा करने के पश्चात् उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र एवम् शेष 70% धनराशि का 4 वर्ष की 8 छमाई किश्तों का 18% ब्याज सहित किशत पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। यदि आवंटन आफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर उपरोक्तानुसार देय 30% धनराशि आप द्वारा अदा नहीं की जाती है तो उपरोकत व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन आफर स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा और जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी। कृपया उपरोक्तानुसार देय धनराशि का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर ही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

विशेष कार्याधिकारी–II,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Received
Suneet R
2-4-04